महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

(केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग–8)

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2016

संख्या : 8फ/आर0सी0–797/2065

निविदा सूचना औषधि का दर अनुबन्ध का पूर्ण विवरण

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से औषधियों के दर अनुबंध जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए अन ख्याति प्राप्त
निर्माता फर्मो से निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, जिनके पास :–

निर्गत किया गया निर्माण लाइसेंस जो अनुबंध
1. प्रदेश (जहा फर्म स्थित है) के औषधि नियंत्रक/लाइसेसिंग एथार्टी द्वारा कोटेड आइटम हेतु निर्गत किया गया निर्माण लाइसेंस जो अनुबंध अवधि तक वैध हो।
2. निविदा में भाग लेने हेतु सशोधित "शिडयूल एम" के अन्तर्गत समस्त यूनिट के लिए निविदादाता के पास जी0एम0पी0/डब्लू0एच0ओ0 जी0एम0पी0 एवं जी0एल0पी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।
3. पिछले 03 वर्षो में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कोटड औषधि के उत्पादन एवं विक्रय के अनुभव का प्रमाण–पत्र जो उस राज्य की जहाँ फर्म स्थित है के औषधि नियंत्रक/लाइसेंसिंग एथारिटी द्वारा जारी किया होना चाहिए।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्न ओवर कम से कम रू0 01 करोड़ होना अनिवार्य है।
5. औषधियो के लिए निविदा में भाग लेने वाली निर्माता फर्मो को उस राज्य के औषधि नियंत्रक से जहां उक्त फर्म स्थित है एक प्रमाण पत्र इस आशय का देना होगा कि उक्त फर्म औषधियों का उत्पादन फार्म फिल एवं सील्ड (एफ0एफ0एस0) तकनीक द्वारा करते है।
6. निविदा में सारी प्रविष्टियाँ टकण द्वारा भरी जानी चाहिए।
7. वित्तीय भाव–पत्र में दर केवल पैकिंग के अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि निविदा में मांगा गया है।
8. निविदादाता निर्माता फर्म जिस राज्य मे स्थित है उसके अनुसार शुद्ध दर एक्साइज ड्यूटी अलग–अलग भरी जानी चाहिए।
9. औषधियों का नमूना और आपूर्ति/मांग के अनुसार एक ही तरह का होना चाहिए।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा निविदा मे प्रस्तावित औषधियों की मात्रा का कम से कम दोगुनी मात्रा के उत्पादन की क्षमता पिछले तीन वर्षो में हो, इसका उपरोक्तानुसार ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा प्रदत्त प्रमाणिक अभिलेख देना होगा।
11. निविदा में कोटेड दरें (एल0–1) ई0एस0आई0, डी0पी0सी0ओ0, डी0जी0एस0 एण्ड डी0, होल सेल व बाजार भाव से अधिक न हों तथा फर्म द्वारा कोटेड दर से कम दर पर कोटेड आइटम की प्रदेश में कही भी आपूर्ति न की गयी हो/की जा रही हो, फर्म द्वारा कोटेड आइटम कहीं भी स्पूरीयस/अधोमानक/प्रतिबन्धित विगत तीन वर्षो में नही पाया गया है, का शपथ पत्र रू0 100/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. दर अनुबन्ध के अर्न्तगत अनुबन्धित औषधियों की आपूर्ति जनपद स्तर तक बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के पहुँचाना होगा।
13. निविदादाता फर्मो को प्रदेश में औषधियों की आपूर्ति डिपों के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा, अतएव फर्मो को निविदा प्रपत्र के साथ वैध डिपों लाइसेंस का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह श्यामसूचित नही है तथा उसके विरूद्ध कोई भी वाद मा0 न्यायालय/विजिलेंस/सी0बी0आई0 में विगत तीन वर्षो से लम्बित न हो, का प्रमाण–पत्र, साथ ही निविदा में जो भी प्रपत्र दिये गये है वे सभी सही है फर्जी/गलत पाये जाने पर अथवा गलत जानकारी देने पर फर्म/शपथी जिम्मेदार होगा।(वाद का अर्थ है कि नियमों के अन्तर्गत फर्म/बोर्ड आफ डायरेक्टर/डायरेक्टर्स/प्रिंसिपल स्टाक होल्डर्स के विरुद्ध अपराधिक वाद।)
15. विभाग में निविदादाता फर्मो के पंजीकरण हेतु न्यूनतम रुपया एक करोड़ के टर्न ओवर के साथ पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क रुपया सात हजार तथा नवीनीकरण शुल्क रुपया पाँच हजार प्रति तीन वर्ष के पश्चात किया जायेगा।
16. निविदा प्रपत्र विभागीय वबेसाइटः–www.uphealth.up.nic.in and www.upgov.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे निविदादाता फर्म दिनांक 16.07.2016 से 29.07.2016 तक वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र की फीस रु0 1150/–(रुपया एक हजार एक सौ पच्चास मात्र) जो वापस नहीं होगा, का बैंक ड्राफट, जो निदेशक(भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में लखनऊ में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वीकार्य नही की जायेगी।

समस्त निविदायें दिनांक 30.07.2016 को अपरान्ह 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार की जायेगी, जो उसी दिन 12.00 बजे अथवा यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद के दिवस में ऐसे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे, के समक्ष खोली जायेंगी। पोस्टल बिलम्ब की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा बिलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को अपने कोटेड आइटम एवं पैकिंग के लैक सील बन्द पांच–पांच नमूने जो वापस नहीं किये जायेंगे दिनांक 29.07.2016 को अपरान्ह 05.00 बजे तक केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग में जमा करना अनिवार्य है, विलम्ब से प्रेषित नमूने स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा जिन फर्मो के नमूने प्राप्त नहीं हुये हैं उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जमा किये गये नमूने वापस नही किये जायेगें।

निविदादाता अपनी निविदा एक लिफाफे में जिस पर निविदा संख्या, दिनांक व फर्म का नाम पूरा पता सहित अंकित करते हुये विधिवत सील बन्द करके प्रस्तुत करें, जिसके अन्दर पांच लिफाफे होंगे, दो लिफाफा तकनींकी भाव–पत्र (मूल एवं द्वितीय प्रति) तथा दो लिफाफे वित्तीय भाव–पत्र (मूल एवं द्वितीय प्रति) का होगा। वित्तीय भाव–पत्र के लिफाफे पर वित्तीय भाव–पत्र तथा तकनींकी भाव–पत्र के लिफाफों पर तकनींकी भाव–पत्र लिखा होना चाहिए। दरों की साफ्ट कापी सी0डी0 में व अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हार्डकापी सील बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। एक लिफाफा, जिस पर अर्नेस्ट मनी लिखा हो, में अर्नेस्ट मनी रखकर सील–बन्द करें। अपूर्ण एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश को एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

16/7/16
निदेशक (भण्डार)

Rijvi sir

e of the Director General of Medical and Health Services, U.P. Lucknow

(C.M.S.D. Section-8)

/R.C.- 797/ 2065 Lucknow: Date 16 07 2016

Full Description of Tender Notice Rate Contract of Medicines

On behalf of Hon'ble Governor Uttar Pradesh tenders are invited for Rate Contract of Medicines for a period of one year m the date of notification of Rate contract from reputed Manufacturing Firms for this tender who have:

1- Manufacturing license given by licensing authority/Drug controller of such state where the firm is situated and valid till total supply period.

2- "Tenderer should have under revised schedule 'M' G.M.P./ W.H.O. G.M.P. and G.L.P Certificate.

3- Three years Mfg. & Marketing experience certificate for the quoted item in preceding Three Years given by State Drug Controlling/Licensing authority.

4- Turn over for firms Rs One Crore per year in last three years.

5- For IV Fluids and Eye Drops a certificate from the drug controller of state is required that the IV Fluids and Eye Drops are manufactured by F.F.S. Technology.

6- All the entries in the tender should be filled by typing.

7- In financial bid of tenders, rate must be quoted according to the packing only as per the requirement of the tender and Sample given by the firms.

8- The rate must be filled as Actual Cost + Excise Duty separately as per demanded in the Tender form.

9- Supply should be same according to the sample deposited at the time of tender.

10- Bidder must have capacity to produce at least double quantity of quoted Sutures, any one year in last 3 years duly certified by concerned Drug Controller.

11- The firm should provide an affidavit on stamp paper Rs. 100/- duly notarized that the quoted rates are not higher than the existing contract of (L-1) rate of E.S.I., D.P.C.O., D.G.S. & D. as well as Whole sale, market rates. It should be clearly mentioned that the Firm has not supplied the item quoted lower than rates submitted in this tender in U.P. State. The coated Sutures are not found Spurious/Sub-Standard /banned in India for last three years.

12- Sutures under Rate Contracts to be supplied at District Head Quarters without any additional charges (F.O.R. destination).

13- The bidder firms should have to supply Sutures at District Head Quarters through depot situated in U.P. State. So Depot License is necessary. Firms should have deposit valid Depot License with the tender.

14- Firms should give an affidavit that company is not blacklisted and there is no Court Case/ Vigilance Case/CBI Case pending against the firm. All the documents given in the tender are true. If found false/fake the person who is giving affidavit is fully responsible. Any action taken against person/firms will be accepted. .(court case means "criminal case" against firm/board of director/directors/principle stock holder as per relevant laws.)

15- The Firms who has turn over of One crore must be registered in the department before participate in the tender. Registration Fee is Rs. Seven Thousand, for renewal the fee is Rs. Five Thousand after every three years.

16- The tender form is uploaded on the website:-**www.uphealth.up.nic.in and www.upgov.nic.in** . The tenderer can download the tender from dated 16-07-2016 to 29-07-2016 from above website, The tenderer must submit the bank draft of Rs. 1150.00(one thousand one hundred fifty rupee only) in favor of Director CMSD, medical and health services payble at Lucknow at the time of submission of the tender form separately as tender form fees (which is not refundable).

All tender forms shall be received in the office of the undersigned up to 11.30 p.m. on dated 30-07-2016 which shall be opened at 12.00 p.m. on the same day or if necessary on subsequent day in the presence of such tenderer or their representative who want to be present. Department shall not be responsible for any postal delay. Delayed and incomplete tenders will not be considered.

Tenderers must deposit five units samples of quoted items in packets (In the same packing which is demanded in the tender) in C.M.S.D. section up to 29-07-2016 till 05.00 p.m. after which no samples will be accepted and the tender without sample will not be considered. The samples are not returnable.

The tenderer should submit their tender in a properly sealed envelope on which tender number & date along with full address of the tendering firm should be written. In that envelope there should be five separate properly sealed envelopes, two for technical bid (Original copy and duplicate copy) and the other two for financial bid (Original copy and duplicate copy) and One envelope for earnest money. Incomplete and conditional, tender will not be accepted.

Director General, Medical & Health Services, U.P. reserves the right to cancel any or all the tender without assigning any reason.

16/7/16

Director (Stores)